




**न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
76/019	53, 88, 188 RTA	कोरुनी कांठ	इ.ब.डा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रामचरण	बनाम	लड्ड	

वकील :- दीपक शर्मा मीना      आदेश पत्रक      वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
28/019	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ने सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/8/019 को पेश हो।	9/9/019
20/8/019	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 3/9/019 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
29/019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी 1 का 3 की ओर से श्री मंगलन इत्यादि अलखिया भी अदालत नगम पेश, साथ ही प्रार्थी 07 Rule 11 व धारा 151 CPC पेश किया। नगम वकील प्रार्थी को ही गई। वास्तु जर्ने प्रार्थी पत्रावली दिनांक 9/9/019 को पेश हो।	
9/9/019	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16/10/019 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
16/10/019	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20/10/019 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	

01 12/20

आज पीतामीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत स्थिति में दिनांक 01.12.21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छवड़ा (बारा)

01/01/21

पत्रावली पेश हुई। वकूलाए करीब 3 उपस्थित। प्र. पत्र का जवाब पेश नहीं हुआ। समय चाहे है वास्ते जवाब प्र. पत्र पत्रावली दिनांक 13/01/21 को पेश हो।

13 01/21

आज पीतामीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वगत स्थिति में दिनांक 01.12.21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छवड़ा (बारा)

01 02/21

पत्रावली पेश हुई। वकूलाए करीब 3 उपस्थित। प्र. पत्र का जवाब पेश नहीं हुआ। समय चाहे है वास्ते जवाब प्र. पत्र पत्रावली दिनांक 24-2-21 को पेश हो।

24 02/21

पत्रावली पेश हुई। वकूलाए करीब 3 उपस्थित। तीन बार भावाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण बंद हाजरी रुकम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्गम हुआ होकर साफिल इफल हो।